समाचार

अवैध प्लाटिंग के भूखण्डों के विक्रय पंजीयन पर लगे रोक

कोरबा 15 दिसम्बर 2020 —निगम द्वारा उपपंजीयक कोरबा एवं कटघोरा को पत्र लिखकर नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर अवैध प्लाटिंग करके भूखण्डों को टुकड़ों में विभक्त कर विक्रय करने वालों के प्रकरणों में विक्रय पंजीयन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है, ताकि अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाया जा सके।

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत कोरबा शहर, दादरखुर्द, खरमोरा, शारदा विहार, मुड़ापार, पोड़ीबहार, पं.रविशंकर शुक्लनगर, बालको, पाड़ीमार, भदरापारा, रिसदी, रिसदा, तुलसीनगर, मिशन रोड कोरबा, लाटा, अगारखार, जमनीपाली, गोपालपुर एवं बांकीमोंगरा के कुछ जगहों पर भूमि स्वामियों द्वारा कृषि भूमियों में आवासीय एवं व्यवसायिक परिसर इत्यदि विकसित करने के उद्देश्य से अनाधिकृत रूप से कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन करते हुए ले—आउट बनाकर एक भूखण्ड को कई टुकड़ों में विभाजित कर विक्रय किया जा रहा है, विशेष तौर पर दादरखुर्द, खरमोरा, पोड़ीबहार, पं.रविशंकर शुक्लनगर, मिशन रोड कोरबा एवं लाटा, अगारखार जमनीपाली में अवैध प्लाटिंग किए जाने की जानकारी सामने आई है। निगम द्वारा पूर्व में भी भूखण्डों को टुकड़ों में विभाजित कर किए जा रहे विक्रय पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में पत्र भेजा गया था। निगम ने उप पंजीयक कोरबा कटघोरा को पुनः पत्र लिखकर अवैध प्लाटिंग कर भूखण्डों को टुकडों में विभक्त कर विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनके विक्रय पंजीयन पर रोक लगाने को कहा है ताकि उनके इस कृत पर अंकुश लगे तथा अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई जा सके।

अवैध प्लाटिंग में डायवर्सन हेतु प्राप्त आवेदन निरस्त करें— निगम ने अधीक्षक भू अभिलेख (परिवर्तित) भूमि शाखा जिला कोरबा को पत्र लिखकर कहा है कि निगम क्षेत्र के उक्तानुसार क्षेत्रों में डायवर्सन हेतु प्राप्त आवेदन पर स्थल निरीक्षण करवाकर अवैध प्लाटिंग में डायवर्सन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही करें ताकि कालोनाईजर एक्ट के तहत निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके।